संख्या–2490 /पॉच–8–2013–एन0(79)/2005

प्रेषक,

डा0 काजल,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–8 लखनऊ : दिनॉक 26 सितम्बर, 2013

विषय :– वेतन समिति(2008) के सोलहवें प्रतिवेदन द्वारा वर्दी भत्ता, वर्दी नवीनीकरण भत्ता तथा वर्दी धुलाई भत्ता आदि के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग–2 के पत्र संख्या–वे0आ0–2–614/दस–54(एम0)/2008 टी0सी0, दिनांक 16–11–2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के सोलहवें प्रतिवेदन के माध्यम से विभिन्न पदों पर वर्दी भत्ता, वर्दी नवीनीकरण भत्ता तथा वर्दी धुलाई भत्ता के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें विभाग तथा परिवार कल्याण विभाग की नर्सिंग संवर्ग के पदों पर अनुमन्य उक्त भत्तों को निम्नानुसार पुनरीक्षित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित कार्मिकों के लिये वर्तमान निर्धारित वर्दी धुलाई भत्तें की दरों को दिनांक 01–11–2012 से स्तम्भ–4 के अनुसार पुनरीक्षित किया जाय।

क0सं0	पदनाम	वर्तमान में निर्धारित दरे (रू0)	पुनरीक्षित दरें (रू0)
1	2	3	4
1	छात्र नर्स	50/–	100/–
2	उपचारिका सेवा संवर्ग तथा अधीनस्थ उपचारिका सेवा वर्ग–1 एवं वर्ग–2 (वरिष्ठ मैट्रन के स्तर तक)	50/–	100/–

(2) निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित कार्मिकों/अधिकारियों को प्रारम्भिक नियुक्ति के समय वर्दी भत्ता/वर्दी नवीनीकरण भत्ता को दिनांक 01–11–2012 से स्तम्भ–4 के अनुसार पुनरीक्षित किया जाय।

s.sr/go

प्रारम्भिक नियुक्ति के समय अनुमन्य वर्दी भत्ता (रू0 में)–

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान में लागू दरे/व्यवस्था	पुनरीक्षित दरें/व्यवस्था
1	2	3	4
1	छात्र नर्स	1250/–	2500/–
2	उपचारिका सेवा संवर्ग तथा अधीनस्थ उपचारिका सेवा वर्ग–1 एवं वर्ग–2(वरिष्ठ मैट्रन के स्तर तक)	1250/–	2500/–

वर्दी नवीनीकरण हेतु अनुमन्य दर (रू0 में)–

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान में लागू दरे/व्यवस्था	पुनरीक्षित दरें/व्यवस्था
1	2	3	4
1	छात्र नर्स	1250/– (केवल एक बार)	2500/–(केवल एक बार)
2	उपचारिका सेवा संवर्ग तथा अधीनस्थ उपचारिका सेवा वर्ग–1 एवं वर्ग–2(वरिष्ठ मैट्रन के स्तर तक)	1250/–(प्रत्येक 5 वर्ष बाद)	2500/–(प्रत्येक 5 वर्ष बाद)

(3)– उपरोक्त कर्मचारियों जिन्हें वर्दी भत्ता अनुमन्य कराया जा रहा है, उन्हें डयूटी के समय वर्दी पहनना सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण अधिकारी नामित किया जाय। ऐसे कार्मिक जो डयूटी के समय वर्दी पहनने में डिफाल्टर हो उन्हें भविष्य में वर्दी अथवा वर्दी भत्ता/वर्दी नवीनीकरण भत्ता/वर्दी धुलाई भत्ता अनुमन्य न किया जाय।

2– उक्त मद में होने वाला व्यय शहरी क्षेत्र के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–32 के "लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलौपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–04–एलौपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय के नामें तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुदान संख्या–32 के लेखाशीर्षक–2210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति–110–अस्पताल तथा औषधालय–10–एलौपैथी चिकित्सालय एवं औषधालय" के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे0आ0–1–669/दस–2013, दिनांक 25–09–2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 काजल)
विशेष सचिव।

s.sr/go

संख्या– 2490 (1)/पॉच–8–2013–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) निदेशक(चिकित्सा उपचार), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निदेश के साथ प्रेषित कि सभी सम्बन्धितों को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(3) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(4) समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मण्डल, उत्तर प्रदेश।

(4) समस्त प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

(6) समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय(पुरुष/महिला), उत्तर प्रदेश।

(7) वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग–2

(8) वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3

(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

s.sr/go